न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/35/2021	08–10–2021	29–08–2022

01– श्रीमती सावित्री पुत्री स्व0 शिम्भूदयाल पत्नी नरवर सिंह झाला, जाति नायक निवासी बैरीसाल का बास, नारायणपुर (अलवर) हाल निवासी मकान न0 68 वार्ड न0 3 ग्राम केसोदा, तहसील भानपुरा, धुआं खेडी जिला मन्दसौर (म.प्र.) 458778

02– श्रीमती कौशल्या पुत्री शिम्भूदयाल पत्नी पर्वत सिंह झाला, जाति नायक निवासी बैरीसाल का बास, नारायणपुर (अलवर) पुत्र स्व0 नारायणपुर (अलवर) हाल निवासी मकान न0 68 वार्ड न0 3 ग्राम केसोदा, तहसील भानपुरा, धुआं खेडी जिला मन्दसौर (म.प्र.) 458778

03– श्रीमती शशि पुत्री स्व0 शिम्भूदयाल पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति नायक निवासी बैरीसाल का बास, नारायणपुर (अलवर) हाल निवासी जी–26 सरकारी क्वार्टर, मानटाउन, सवांई माधोपुर 322001 (राजस्थान)

–: अपीलाण्स

बनाम

01– रामेश्वर पुत्र स्व0 शिम्भूदयाल जाति नायक,

02– हजारी पुत्र स्व0 शिम्भूदयाल जाति नायक,

03– प्रताप पुत्र स्व0 शिम्भूदयाल जाति नायक, निवासी बैरीसाल का बास, नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर (राजस्थान)

04– तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर।

–: रेस्पौडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी दिनांक 07.02.1983 नामान्तकरण सख्या 724 ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर।

उपस्थित

01–श्री नवनित तिवाडी –वकील अपीलाण्टस

02–रेस्पोडेन्टस संख्या 1–3 – बावजुद सूचना अनुपस्थित

03– श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 07.02.1983 नामान्तकरण संख्या 724 ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर। दर्ज कर निर्णित किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांटस उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि नामान्तकरण संख्या 724 तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनाक 07.02.1983 को दर्ज व स्वीकार किया गया है, जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में स्वीकार किया गया है, जो तथ्यो एवं कानून के विरूद्व है। नामान्तकरण गलत एवं मनमाने तथ्यो के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 से साजबाज होकर स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 जो काफी चालाक व चतुर व्यक्ति थे, ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से साजबाज होकर आलोच्य नामान्तकरण अपने नाम दर्ज व स्वीकार कराया है। नामान्तकरण संख्या 724 में वर्णित आराजी मिन अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 के पिता शिम्भूदयाल पुत्र गणेश नायक उर्फ गोपाल की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मिन अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3, शिम्भूदयाल के विधिक एवं जायज वारिसान है, तथा मिन अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 का समभाग हक व अधिकार निहित है, उक्त नामान्तकरण संख्या 724 मिन अपीलान्टस के हक हकूको के विरूद्व बातिल वो बेअसर है। मिन अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 के पिता शिम्भूदयाल का दिनाक 20.05.1981 को एवं माता श्रीमती बुद्वी देवी का दिनाक 25.06.2003 को स्वर्गवास हो चुका है। विवादित नामान्तकरण संख्या 724 में दर्ज आराजी खसरा मिन अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है, जिस आराजी में मिन अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का 1/6 –1/6 भाग निहित है। विवादित नामान्तकरण संख्या 724 में दर्ज आराजी पर मिन अपीलान्टस के पिता अर्जुन उर्फ अरजन अपने जीवनकाल में काबिज व दाखिल रहे है, तथा उनकी मृत्यू के उपरान्त मिन अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 काबिज व दाखिल हुए रेस्पोडेन्टस संख्या 4 ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लागायत 3 से मिलीभगत कर व आपस में साजबाज होकर मिन अपीलान्टस के हक हकूको को खत्म करने की गर्ज से उक्त विवादित नामान्तकरण संख्या 724 तहत अदालत द्वारा स्वीकार किया गया है, जो विधि एंव तथ्यो के विपरित है, तथा उक्त नामान्तकरण काबिल खारिज है, रेस्पोडेन्टस संख्या 4 द्वारा मिन अपीलान्टस को न तो कोई सूचना दी गयी न ही कोई नोटिस दिया गया और एक पक्षीय में रेस्पोडेन्टस संख्या 4 ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है। मिन अपीलान्टस जो पर्दाशीन, ग्रमीण परिवेश की अनपढ महिलाऐ है, जिन्हे कानून की कतई जानकारी नही है, तथा मिन अपीलान्टस के पिता शिम्भू दयाल के देहान्त हो जाने के बाद रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 ही धर के समस्त कार्य कलापों को देखा करते थे, एवं कागजी कार्यवाही करते थे। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश की मिन अपीलान्टस को पूर्व में कोई जानकारी नही थी। पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी मिन अपीलान्टस को जमाबन्दी की नकल दिनाक 05.02.2020 को प्राप्त कराने पर हुई जिस पर मिन अपीलान्टस ने दिनाक 25.02.2020 को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगायत 3 से नामान्तकरण को दुरूस्त कराने का निवेदन किया तो उन्होने इस वास्ते इंकार कर दिया जिसके पश्चात अपीलान्टस द्वारा कानूनी सलाह मशवरा किया जिस पर नामान्तकरण की अपील किये जाने हेतु सलाह दी गयी। तहत अदालत के आदेश दिनाक 07.02.1983 से दिनाक 05.02.2020 व कोरोना के कारण लोकडाउन होने के कारण राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने तक का समय लाईल्मी करार दिया जावे, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पेश कर दिनाक 07.02.1983 से दिनाक 05.02.2020

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

तक का समय कण्डोन किया जाकर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 07.02.1983 को निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टस तहत अदालत में पक्षकार नही था, न्यायालय हाजा में अपील इजाजत बाबत 96 सी.पी.सी. पेश करना चाहिए था, जो अपीलान्ट द्वारा पेश नही किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्टस व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक द्वारा उठाई गयी कानूनी बिन्दू धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना के अभाव पर विचार किया जाना आवश्यक है। तहत अदालत के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है, कि अपीलान्टस तहत अदालत में पक्षकार नही थे। न्यायालय हाजा में अपील इजाजत बाबत 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था जो अपीलान्टस द्वारा पेश नही किया गया है। अतः 96 सी.पी.सी. के अभाव में अपील के गुणदोष पर निर्णय किये बिना धारा 96 सी.पी.सी. के अभाव में अपील अपीलान्टस खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस 96 सी.पी.सी. के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.02.1983 नामान्तकरण सख्या 724 ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी यथावतः रखा जाता है, निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29-08-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)